उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904}

THE UTTAR PRADESH GENERAL CLAUSES ACT, 1904

[U. P. Act No. 1 of 1904]

{उत्तर प्रदेश}[1] साधारण खण्ड अधिनियम, 1904[2]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1957

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975

द्वारा संशोधित

गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया (एडेप्टेशन ऑफ इण्डियन लॉज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

{लेफ्टीनेन्ट गवर्नर ने 28 नवम्बर, 1903 तथा गवर्नर जनरल ने 7 जनवरी, 1904 को स्वीकृत प्रदान की तथा इण्डियन काउन्सिल ऐक्ट, 1861 की धारा 40 के अधीन 23 जनवरी, 1904 को प्रकाशित हुआ।}

1887 तथा 1896 के {उत्तर प्रदेश}[1] जनरल क्लॉजेज ऐक्टों के समेकन और विस्तारण के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि 1887 तथा 1896 के {उत्तर प्रदेश}[1] जनरल क्लॉजेज ऐक्टों का समेकन और विस्तारण किया जाय;

अतः एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम {उत्तर प्रदेश}[1] साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 कहलाएगा; और

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2–– {* * *}[3]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 54, 1975 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए गजट 1903, भाग 5, पृष्ठ 46 देखिये।

इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से, जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है, प्रवृत्त किया गया है :–

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश, जिनके अन्तर्गत विस्तार किया गया	विज्ञप्ति, यदि कोई हो, जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि, जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1–– जिला रामपुर	रामपुर (विधियों को लागू करने का) ऐक्ट, 1950	–––	दिसम्बर 30, 1949
2–– जिला बनारस	बनारस (विधियों को लागू करने का) आर्डर, 1949	संख्या 3262/सत्रह, दिनांक नवम्बर 30, 1949	नवम्बर 30, 1949
3–– जिला टिहरी–गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल (विधियों को लागू करने का) आर्डर, 1949	तदैव	तदैव

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 54, 1975 की धारा 3 द्वारा निकाली गई।

अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों पर लागू होना

{3–– (1) इस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम और समस्त उत्तर प्रदेश अधिनियमों पर लागू होंगे, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बनाये गये हों।

(2) किसी अधिनियमिति अथवा परिनियत संलेख पर अपने लागू होने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उस अधिनियमिति या संलेख के, जिसका निर्वाचन किया जाना हो, प्रसंग की किन्हीं प्रतिकूल अपेक्षाओं के अधीन होंगे।}[1]

साधारण परिभाषाएं

परिभाषाएं

4–– जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विरूद्ध न हो, {उत्तर प्रदेश}[2] के समस्त अधिनियमों में –

''दुष्प्रेरण'' 1860 का 45

(1) ''दुष्प्रेरण'' का उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित वही अर्थ होगा, जो भारतीय दण्ड संहिता में है;

''कार्य''

(2) ''कार्य'' का प्रयोग जब किसी अपराध या किसी सिविल दोष के प्रति निर्देश से किया जाता है तो उसके अन्तर्गत कार्यावलि भी आयेगी और उन शब्दों का, जो किये गये कार्यों के प्रति निर्देश करते हैं, विस्तार अवैध लोगों तक भी होगा;

''शपथपत्र''

(3) ''शपथपत्र'' के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिन्हें शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञा दी गई हो, प्रतिज्ञान और घोषणा भी आयेंगी;

''आगरा''

(4) ''आगरा'' का तात्पर्य उस राज्य–क्षेत्र से होगा, जो 22 मार्च, 1902 के पूर्व {नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज}[3] कहलाता था;

'कृषि वर्ष'

{(4–क) 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले वर्ष से होगा;}[4]

'सहायक कलैक्टर'

(5) 'सहायक कलैक्टर' के अन्तर्गत सहायक आयुक्त भी होगा;

'बैरिस्टर'

(6) ''बैरिस्टर'' का तात्पर्य इंग्लैण्ड या आयरलैण्ड के बैरिस्टर या स्काटलैण्ड की फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स के सदस्य से होगा;

''राजस्व परिषद्''

(7) ''राजस्व परिषद्'' का तात्पर्य {उत्तर प्रदेश}[2] की राजस्व परिषद् से होगा;

{(7–क) ''केन्द्रीय अधिनियम'' का वही अर्थ होगा, जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में है;

(7–ख) ''केन्द्रीय सरकार'' का वही अर्थ होगा, जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में है;}[5]

''अध्याय''

(8) ''अध्याय'' का तात्पर्य उस अधिनियम के अध्याय से होगा, जिसमें वह शब्द आता हो;

{(8–क) ''खण्ड'' का तात्पर्य ऐसी धारा या उपधारा के, जिसमें वह शब्द आये, अन्तर्विभाजन से (जो उपधारा न हो) होगा;}[6]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) अथवा (दि यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) अपरिष्कृत रहेंगे।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 5 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा अंतर्विष्ट।
6. उपर्युक्त की धारा 5 (3) द्वारा अंतर्विष्ट।

''कलैक्टर''

(9) ''कलैक्टर'' का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से होगा और उसके अन्तर्गत कोई उपायुक्त तथा देहरादून का अधीक्षक होगा;

''प्रारम्भ''

(10) ''प्रारम्भ'' का उपयोग जब किसी अधिनियम के प्रति निर्देश से किया जाता है तो उसका तात्पर्य उस दिन से होगा, जिस दिन वह अधिनियम प्रवृत्त होता है;

''आयुक्त''

(11) ''आयुक्त'' का तात्पर्य डिवीजन के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से होगा;

{(11–क) ''संविधान'' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से होगा;

(11–ख) ''पुत्री'' के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिस पर लागू विधि पुत्री का दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्री भी आयेगी;

(11–ग) ''दिन'' का तात्पर्य अर्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटों की अवधि से होगा;}[1]

''जिला न्यायाधीश''

(12) ''जिला न्यायाधीश'' का तात्पर्य आरम्भिक अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय के न्यायाधीश से होगा, किन्तु अपनी मामूली या गैरमामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता हुआ उच्च न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आयेगा;

{(12–क) ''जिला मजिस्ट्रट'' का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से होगा और उसके अन्तर्गत किसी जिले का उप–आयुक्त भी होगा;}[2]

''दस्तावेज''

(13) ''दस्तावेज'' के अन्तर्गत ऐसा कोई विषय आयेगा, जिसे किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन या उनमें से एक से अधिक साधन द्वारा, जो उस विषय को अभिलिखित करने के प्रयोजन से उपयोग किये जाने के लिए आशयित हो या उपयोग किया जा सके, लिखित, अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो;

''अधिनियमिति''

(14) ''अधिनियमिति'' के अन्तर्गत विनियम (एतद्पश्चात् यथापरिभाषित) तथा बंगाल, मद्रास या मुम्बई संहिता का कोई विनियम आयेगा तथा इसके अन्तर्गत किसी अधिनियम में या यथापूर्वोक्त किसी विनियम में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध भी आयेगा;

''पिता''

(15) ''पिता'' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी ''पिता'' स्वीय विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पिता भी आयेगा;

''वित्तीय वर्ष''

(16) ''वित्तीय वर्ष'' का तात्पर्य अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से होगा;

''सद्भावपूर्वक''

(17) कोई बात ''सद्भावपूर्वक'' की गयी समझी जाएगी, यदि वह तथ्यतः ईमानदारी से की गई है, चाहे वह उपेक्षा से की गई हो या नहीं;

''गजट''

(18) ''गजट'' का तात्पर्य {उत्तर प्रदेश}[3] के सरकारी गजट से होगा;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 5 (4) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (5) द्वारा अंतर्विष्ट तथा सदैव से अंतर्विष्ट किया समझा जायगा।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (दि यूनाइटेड प्राविन्सेज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

{(19) ''माल'' के अन्तर्गत सभी सामग्री, वस्तुएं तथा पदार्थ भी आयेंगे और विद्युत् भी आयेगी; ''माल''

(19–क) ''सरकार'' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा कोई राज्य सरकार आयेगी;

(19–ख) ''सरकारी प्रतिभूतियाँ'' का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से होगा;

(19–ग) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से होगा;}[1]

(20) ''उगी फसलें'' के अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलें, जो भूबद्ध हो तथा पेड़ों और झाड़ियों पर लगे पत्ते, फूल और फल तथा पेड़ों और झाड़ियों के अन्दर का रस भी आयेगा; ''उगी फसलें''

{(21) ''उच्च न्यायालय'' या ''उच्च न्यायालय, इलाहाबाद'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय से होगा;}[2]

(22) {* * *}[3]

(23) ''स्थावर सम्पत्ति'' के अन्तर्गत भूमि, भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और वे वस्तुयें, जो भूबद्ध हो या किसी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, आयेगी, किन्तु इसके अन्तर्गत खड़ा काष्ठ, उगी फसलें या घास नहीं आयेगी; ''स्थावर सम्पत्ति''

(24) ''कारावास'' का तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता में यथापरिभाषित दोनों में से किसी भांति के कारावास से होगा;

{(24–क) ''विधिक प्रतिनिधि'' का वही अर्थ होगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में है;}[4]

{(25) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर–पालिका, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, केन्टूनमेन्ट बोर्ड, क्षेत्र समिति, गांव सभा या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी से, जो स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा गांव प्रशासन के प्रयोजनार्थ संघटित किया गया हो या जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिए वैध रूप से हकदार हो या जिसे उसका नियंत्रण या प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो, होगा;

(26) ''स्थानीय निधि'' का तात्पर्य ऐसे राजस्व से होगा, जिसका प्रबंन्ध ऐसे निकाय द्वारा किया जाता हो, जिस पर चाहे सामान्यतया कार्यवाहियों के या विशिष्ट विषयों, जैसे अपना बजट स्वीकृत करने, विशिष्ट पदो ंके सृहित करने या उन्हें भरने की स्वीकृति देने, छुट्टी के, पेंशन के या अन्य नियमों, विनियमों या उपविधियों को बनाने के सम्बन्ध में विधि या विधिसम प्रभावी नियम द्वारा, राज्य सरकार का नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत किसी ऐसे अन्य निकाय या राजस्व भी होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विशिष्टतया अधिसूचित किया जाय;}[5]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 5 (10) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (7) द्वारा अंतर्विष्ट।
3. (हिज मजेस्टी) अथवा (दी किंग) की परिभाषाएं एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा निकाली गयी।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 5 (8) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 5 (9) द्वारा अंतर्विष्ट।

''मजिस्ट्रेट'' (27) ''मजिस्ट्रेट'' के अन्तर्गत ऐसा हर व्यक्ति आयेगा, जो तत्समय प्रवृत्त दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो;

''मास'' (28) ''मास'' का तात्पर्य ब्रिटिश कैलेण्डर के अनुसार संगणित मास से होगा;

{(28–क) ''माता'' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक माता भी आयेगी;}[1]

''जंगम सम्पत्ति'' (29) ''जंगम सम्पत्ति'' का तात्पर्य स्थावर सम्पत्ति को छोड़कर हर भांति की सम्पत्ति से होगा;

{(29–क) ''अधिसूचना'' या ''सार्वजनिक सूचना'' का तात्पर्य राज्य के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से होगा और शब्द 'अधिसूचित' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा;}[2]

''शपथ'' (30) ''शपथ'' के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हो, प्रतिज्ञान और घोषणा भी आयेगी;

''अपराध'' (31) ''अपराध'' का तात्पर्य किसी ऐसे कार्य अथवा लोप से होगा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय किया गया हो;

''भाग'' (32) ''भाग'' का तात्पर्य उस अधिनियम या विनियम के भाग से होगा, जिसमें वह शब्द आता हो;

''व्यक्ति'' (33) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि–निकाय भी आयेगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं;

{(33–क) ''विहित'' का तात्पर्य उस अधिनियम के अधीन, जिसमें वह शब्द आया हो, बनाये गये नियमों द्वारा विहित से होगा;

(33–ख) ''जनता'' के अन्तर्गत जनता का कोई वर्ग या प्रवर्ग भी आयेगा;}[3]

''लोक न्यूसेंस'' (34) ''लोक न्यूसेंस'' का तात्पर्य भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता में यथापरिभाषित लोक न्यूसेंस से होगा;

''रजिस्ट्रीकृत'' (35) ''रजिस्ट्रीकृत'' का उपयोग जब किसी दस्तावेज के बारे में किया जाता है तो उसका तात्पर्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी {भाग क अथवा भाग ग राज्य}[4] में रजिस्ट्रीकृत से होगा;

''विनियम'' (36) ''विनियम'' का तात्पर्य गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1870 के अधीन बनाये गये किसी विनियम से होगा;

''नियम'' (37) ''नियम'' का तात्पर्य किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये किसी नियम से होगा और इसके अन्तर्गत किसी अधिनियमिति के अधीन नियम के रूप में बनाया गया विनियम भी आयेगा;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 5 (10) द्वारा अंतर्विष्ट।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (11) द्वारा अंतर्विष्ट।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (12) द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (दि प्राविन्सेज) के स्थान पर प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1948 द्वारा (फार ब्रिटिश इंडिया) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

(38) ''अनुसूची'' का तात्पर्य उस अधिनियम या विनियम की अनुसूची से होगा, जिसमें वह शब्द आता हो; ''अनुसूची''

{(39) ''अनुसूचित बैंक'' का तात्पर्य रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक से होगा;

(39–क) ''अनुसूचित जातियों'' तथा ''अनुसूचित जनजातियों'' के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे, जो संविधान में है;}[1]

(40) ''धारा'' का तात्पर्य उस अधिनियम या विनियम की धारा से होगा, जिसमें वह शब्द आता हो; ''धारा''

(41) अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित 'हस्ताक्षर' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देश से, जो अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित ''चिह्न'' भी आयेगा; ''हस्ताक्षर''

{(42) 'पुत्र' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्र भी आयेगा;

(42–क) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश से होगा और संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में, उसके अन्तर्गत यूनाइटेड प्राविन्सेज भी आयेगा;

(42–ख) ''परिनियत संलेख'' का तात्पर्य किसी ऐसी अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्रपत्र या उपविधि से है, जो किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गयी हो और विधि का बल रखती हो;

(42–ग) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से होगा और संविधान के अनुच्छेद 258–क के अधीन केन्द्रीय सरकार को सौंपे गये कृत्यों के सम्बन्ध में उसके अन्तर्गत, उक्त अनुच्छेद के अधीन केन्द्रीय सरकार को दिये गये प्राधिकार के विस्तार के भीतर कार्यरत केन्द्रीय सरकार भी आयेगी;}[2]

(43) ''उपधारा'' का तात्पर्य उस धारा की, जिसमें वह शब्द आता हो, उपधारा से होगा; ''उपधारा''

(44) अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित ''शपथ लेना'' के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिन्हें शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञा दी गई हो, प्रतिज्ञान करना और घोषणा करना, आयेंगे; ''शपथ लेना''

{(44–क) ''अस्थायी अधिनियम'' का तात्पर्य ऐसे अधिनियम से होगा, जिसे किसी विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर या कोई विशिष्ट घटना होने पर या किसी विशिष्ट दिन को, प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रह जाना है;}[3]

{(45) ''उत्तर प्रदेश'' का तात्पर्य संविधान के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में तत्समय समाविष्ट समस्त राज्य क्षेत्रों से होगा;}[4]

{(46) ''उत्तर प्रदेश अधिनियम'' का तात्पर्य ––

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 5 (13) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 5 (14) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (15) द्वारा अंतर्विष्ट।
4. उपर्युक्त की धारा 5 (16) द्वारा अंतर्विष्ट।

(क) संविधान के प्रारम्भ के पूर्व बनायी गयी किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा, जो इंडियन काउंसिल्स ऐक्ट्स, 1861 के या इंडियन काउंसिल्स ऐक्ट्स, 1861 और 1892 के या इंडियन काउंसिल ऐक्ट्स, 1861 से 1909 तक के या गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1915 के अधीन नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज और अवध (या आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त) के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर–इन–काउंसिल द्वारा या गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन संयुक्त प्रान्त के स्थानीय विधान मण्डल या गवर्नर द्वारा या गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय विधान मण्डल या गवर्नर द्वारा बनाया गया हो; और

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् बनायी गई किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया हो और उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी कोई विधि भी आयेगी;}[1]

''जलयान''

(47) ''जलयान'' के अन्तर्गत कोई पोत या नौका या नौपरिवहन में उपयोग में लाया जाने वाला किसी अन्य भाँति का जलयान आयेगा;

''बिल''

(48) ''बिल'' के अन्तर्गत कोड़पत्र और सम्पत्ति का स्वेच्छा से मरणोत्तर व्ययन करने वाला प्रत्येक लेख आयेगा;

''लेखन''

(49) ''लेखन'' के प्रति निर्देश करने वाले पदों का ऐसा अर्थ लगाया जायेगा कि उसके अन्तर्गत मुद्रण, शिला–मुद्रण, फोटोचित्रण और शब्दों का दृश्य रूप में रूपण या प्रत्युत्पादन करने के अन्य ढंगों के प्रति निर्देश भी आते हैं; और

''वर्ष''

(50) ''वर्ष'' का तात्पर्य ब्रिटिश कैलेण्डर के अनुसार संगणित वर्ष से होगा;

{(51) किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में, समय–समय पर यथासंशोधित उस अधिनियम के प्रति निर्देश हो और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की दशा में ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह उच्च न्यायालय द्वारा उस संहिता की धारा 122 के अधीन प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों में समय–समय पर किये गये किन्हीं अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए उस संहिता के प्रति निर्देश हो;

(52) किसी राजस्व डिवीजन, जिला या परगना अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर के किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह ऐसे राजस्व डिवीजन, जिला या परगना अथवा स्थानीय क्षेत्र की समय–समय पर यथापरिवर्तित सीमाओं सहित उसके प्रति निर्देश हो;

(53) जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या मुंसिफ के प्रति किसी निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों उसके अन्तर्गत, यथास्थिति, किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश या अपर मुंसिफ के प्रति निर्देश भी है, जिसे उस जिला न्यायाधीश द्वारा (जिसके अधीनस्थ ऐसा अधिकारी प्रशासकीय रूप से हो) कोई मामला निपटाने के लिये समनुदेशित किया जाय।}[2]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 5 (17) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उपर्युक्त की धार 5 (18) द्वारा अंतर्विष्ट।

व्याकरणिक रूप–भेद और सजातीय पद

{4–क–– प्रत्येक उत्तर प्रदेश अधिनियम में, जब कोई शब्द परिभाषित हो तो –

(क) वह परिभाषा तब तक लागू होगी जब तक कि अधिनियम के प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(ख) उस शब्द के व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदो ंके तदनुरूप अर्थ होंगे।}[1]

अर्थान्वयन के साधारण नियम

अधिनियमितियों का प्रवर्तन में आना

5–– {(1) जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम का किसी विशिष्ट दिन को प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त न हो, वहां

(क) संविधान के प्रारम्भ के पूर्व बनाए गए किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम की दशा में, यदि वह विधान मण्डल द्वारा बनाया गया अधिनियम हो, वह उस दिन को प्रवर्तन में आयेगा जब उस पर स्थिति की अपेक्षानुसार गवर्नर, गवर्नर जनरल या हिज मैजेस्टी की अनुमति सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित की जाय और यदि वह गवर्नर द्वारा बनाया गया अधिनियम हो तो वह उस दिन को प्रवर्तन में आयेगा जब वह अधिनियम के रूप में सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित किया जाय;

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् बनाये गये किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम की दशा में, वह उस दिन को प्रवर्तन में आयेगा जब उस पर, स्थिति की अपेक्षानुसार, राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित की जाय।}[2]

(2) जब तक कि तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त न हो, किसी {उत्तर प्रदेश}[3] अधिनियम का ऐसा अर्थ लगाया जायेगा कि वह अपने प्रारम्भ के पूर्ववर्ती दिन का अवसान होते ही प्रवर्तन में आ गया है।

निरसन का प्रभाव

6–– जहां कि कोई {उत्तर प्रदेश}[3] अधिनियम अब तक बनाई गई या एतत्पश्चात् बनाई जाने वाली किसी अधिनियमिति को निरसित कर देता है तो जब तक कोई भिन्न आशय न प्रतीत हो, वह निरसन–

(क) उस निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यमान किसी बात को पुनर्जीवित नहीं करेगा; अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन पर या तद्धीन सम्यक रूप से की गई या सहज की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरूद्ध किये गये किसी अपराध की बावत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 6 द्वारा अंतर्विष्ट।
2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।

(ङ) निरसन करने वाले अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व, किसी यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में, प्रारम्भ हुए किसी उपचार या अन्वेषण या विधिक कार्यवाही पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और ऐसा कोई उपचार इस प्रकार प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसे किसी अन्वेषण या विधिक कार्यवाही को इस प्रकार जारी रखा तथा समाप्त किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानों वह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

अस्थायी अधिनियमों के अवसान का समय

{6–क–– किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह ठीक उस दिन की समाप्ति पर, जिसको वह अवसित हो, प्रवर्तन में नहीं रह गया है।

अवसान का प्रभाव

6–ख–– जहां कि किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का अवसान हो जाय, वहां उस पर धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसित किये जाने पर लागू होते हैं।

अन्य विधियों में पाठीय संशोधन करने वाली विधि का निरसन अथवा अवसान

6–ग–– (1) उपधारा (2) में, जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी विषय के अभिव्यक्त लोप, अन्तःस्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या विनियम का पाठ संशोधित करता है और और तत्पश्चात् संशोधन अधिनियमिति को निरसित कर दिया जाता है, वहां ऐसे निरसन से, किसी ऐसे संशोधन के, जो इस प्रकार निरसित अधिनियमिति द्वारा किया गया हो और ऐसे निरसन के समय प्रवर्तन में हो, जारी रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) जहां कि पाठ का ऐसा संशोधन किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या किसी अध्यादेश द्वारा अथवा राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी किसी विधि द्वारा किया जाय और ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या अन्य विधि (परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के) पुनः अधिनियमित हुए बिना प्रवर्तन में न रह जाय, वहां एतद्द्वारा पाठ में किया गया ऐसा संशोधन भी प्रवर्तन में न रह जायगा।}[2]

निरसित अधिनियमितियों का पुनर्जीवित होना

7–– किसी पूर्णतः या अंशतः निरसित अधिनियमिति को, पूर्णतः या अंशतः पुनर्जीवित करने के प्रयोजन के लिए किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम में, उस प्रयोजन को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर देना आवश्यक होगा।

निरसित अधिनियमितियों के प्रति किए गए निर्बन्धन का अर्थान्वयन

8–– {(1)}[3] जहां कि कोई {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम, पूर्ववर्ती अधिनियमिति के किसी उपबन्ध को निरसित और परिष्कार सहित या रहित, पुनः अधिनियमित करता है, वहां जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, इस प्रकार निरसित उपबन्ध के प्रति किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखत में, के निदेशों का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्ध के प्रति निर्दोश है।

{(2) जहां कि किसी अधिनियमिति का संक्षिप्त नाम किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है, वहां किसी अन्य अधिनियमिति में उस अधिनियमिति के पुराने संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानो वह उस अधिनियमिति के नये संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश हो।}[3]

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 7 द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 8 द्वारा धारा 8 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्याकित की गई और नयी उपधारा (2) अन्तर्विष्ट की गयी।

समय का प्रारम्भ और पर्यवसान

9–– किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम में किसी दिनावलि या समय की किसी अन्य कालावधि के प्रथम दिन को अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए ''से'' शब्द का उपयोग तथा किसी दिनावलि या समय की किसी अन्य कालावधि के अन्तिम दिन को सम्मिलित करने के लिए 'तक'' शब्द का उपयोग करना पर्याप्त होगा।

समय की संगणना

10–– जहां कि किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम द्वारा किसी कार्य या कार्यवाही का किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी निश्चित दिनांक को या किसी विहित कालावधि के भीतर किया जाना निर्दिष्ट या अनुज्ञात हो, वहां यदि वह न्यायालय या कार्यालय उस दिन या उस विहित कालावधि के अन्तिम दिन बन्द हो तो यदि वह कार्य या कार्यवाही उस निकट आगामी दिन को जब वह न्यायालय या कार्यालय खुले, को जाती है तो वह सम्यक समय में की गई मानी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई भी बात ऐसे कार्य या कार्यवाही पर लागू न होगी, जिस पर इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1877 लागू हो।

पार्श्व टिप्पणियों का अधिनियम का भाग न होना

{10–क–– उत्तर प्रदेश अधिनियम के किसी उपबन्ध की पार्श्व–टिप्पणियों और किसी ऐसे उपबन्ध के सामने किसी पूर्ववर्ती अधिनियमित की संख्या और वर्ष के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जायगा कि वे केवल निर्देश की सुविधा के लिए रखे गये हैं और वे अधिनियम के भाग नहीं होंगे।

निगमन का प्रभाव

10–ख–– जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी भी प्रकार के शब्दों द्वारा कोई निगमित निकाय संघटित करता है, वहां उस निगमित निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से संविदा कर सकेगा और वह चाहे जंगम या स्थावर सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा, धारण कर सकेगा और उसका निस्तारण कर सकेगा और अपने निगमित नाम से वह वाद ला सकेगा या उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा।

प्रपत्र में रूप भेद

10–ग–– जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई प्रपत्र विहित किया जाय, वहां उसमें किंचित रूप भेद, जो सार पर प्रभाव न डालता हो या भुलावा देने के लिए प्रकल्पित न हो, उसे अविधिमान्य न बनायेगा।}[2]

दूरियों की माप

11– किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी दूरी की माप करने में उस दूरी को, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, क्षैतिज समतल पर सरल रेखा में मापा जायेगा।

अधिनियमितियों का शुल्क का आनुपातिक समझा जाना

12–– जहां कि किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम द्वारा कोई सीमा शुल्क या उत्पाद–शुल्क या ऐसी ही प्रकृति का कोई शुल्क किसी माल या वाणिज्य के किसी दिए हुए परिमाण पर, तोल, माप या मूल्य के अनुसार उदग्रहणीय हो, वहां किसी अधिक या न्यून परिणाम पर वैसा ही शुल्क उसी दर के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा।

लिंग और वचन

13–– जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विरूद्ध न हो, समस्त {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियमों में :–

(1) यह समझा जायेगा कि पुलिंग वाचक शब्दों के अन्तर्गत स्त्रियां भी हैं; और,

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 9 द्वारा बढ़ायी गयी।

(2) एक वचन शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आयेगा और बहुवचन शब्दों के अन्तर्गत एक वचन आयेगा।

शक्तियां और कृत्यकारी

राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का समय–समय पर प्रयोक्तव्य होना

14–– जहां कि किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम द्वारा {* * *}[2] कोई शक्ति प्रदत्त हो, वहां उस शक्ति का प्रयोग अवसर की अपेक्षानुसार, समय–समय पर किया जा सकेगा।

नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत पदेन नियुक्त करने की प्रविष्ट का होना

15–– जहां कि किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम द्वारा, किसी पद को भरने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति प्रदत्त हो, वहां जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, ऐसी कोई नियुक्ति या तो नाम से या पदाभिधान से की जा सकेगी।

नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत निलम्बित करने, पदच्युत करने या अन्यथा पदावधि समाप्त करने की शक्ति का होना

{16–– जहां कि किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम द्वारा कोई नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त हो, वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, उस प्राधिकारी को, जिसे नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति हो यह शक्ति भी होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शक्ति के प्रयोग में उसके द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, निलम्बित कर सके, पदच्युत कर सके, हटा सके या अन्यथा उसका पदावधि समाप्त कर सके।}[3]

कृत्यकारियों का प्रतिस्थापन

17–– किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम में, यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि कोई विधि किसी पद के कृत्यों का तत्समय निष्पादन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति संख्या पर लागू है, उस अधिकारी का, जो वर्तमान समय में कृत्यों का निष्पादन कर रहा हो, या उस अधिकारी का, जिसके द्वारा कृत्यों का सामान्यतः निष्पादन किया जाता है, पदनाम उल्लिखित करना पर्याप्त होगा।

उत्तरवर्ती

18–– किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम में, किन्हीं कृत्यकारियों के या शाश्वत उत्तराधिकार रखने वाले नियमों के उत्तरवर्तियों से किसी विधि के सम्बन्ध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए कृत्यकारियों से या निगमों से उसका सम्बन्ध अभिव्यक्त करना पर्याप्त होगा।

कार्यालय के मुख्य और अधीनस्थ

19–– किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम में, यह अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए कि किसी कार्यालय के मुख्य या वरिष्ठ से सम्बन्धित विधि उन उपपदीयों या अधीनस्थों पर, जो अपने वरिष्ठ के स्थान पर उस पद के कर्तव्यों का वैध रूप से पालन कर रहे हों, लागू होगी, उस वरिष्ठ के कर्तव्यों को विहित कर देना पर्याप्त होगा।

आनुषंगिक शक्तियां

{19–क– जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को किसी कार्य या बात को करने या उसके किये जाने को प्रवृत्त करने के लिए कोई शक्ति दी जाय, वहां यह समझा जायगा कि ऐसी समस्त शक्तियां भी दी गई है, जो ऐसे कार्य या बात को करने या उसके किये जाने का प्रवृत्त करने के लिए उस व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।}[4]

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 10 द्वारा निकाले गये।
3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिनियम के अधीन जारी किये गये परिनियत संलेखों[3] के सम्बन्ध में उपबन्ध

अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए आदेशों आदि का अर्थान्वयन

20–– {(1)}[4] जहां कि किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम द्वारा कोई {परिनियत संलेख}[5] को जारी करने की शक्ति प्रदत्त की गयी हो, वहां जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई बात विरूद्ध न हो, {परिनियत संलेख}[5] में प्रयुक्त पदों के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे, जो शक्ति प्रदत्त करने वाले अधिनियम में है।

{(2) धारा 4, 4–क, 6, 6–क, 6–ख, 7, 8, 9, 10, 10–क, 10–ग, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19–क और 28 के उपबन्ध किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी परिनियत संलेख के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के सम्बन्ध में लागू होते हैं।}[6]

आलेखों, नियमों या उपविधियों के बनाने की शक्ति के अन्तर्गत उनमें जोड़ने, उनका संशोधन करने, उनमें फेरफार करने या उनका विखण्डन करने की शक्ति का होना

21–– जहां कि किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम द्वारा कोई {परिनियत संलेखों}[5] को जारी करने की शक्ति प्रदत्त की गयी हो, वहां इस प्रकार {जारी किये गये परिनियत संलेखों}[7] में जोड़ने उन्हें संशोधित करने या उनमें फेरफार करने या उनको विखण्डित करने की वैसी ही रीति से और वैसी ही मंजूरी और शर्तों के (यदि कोई हो) अधीन रहते हुए, प्रयोक्तव्य शक्ति, उस शक्ति के अन्तर्गत है।

अधिनियमितियो के प्रकाशन और प्रारम्भ होने के बीच नियमों या उपविधियों का बनाया जाना तथा आदेशों का जारी किया जाना

{22–– जहां कि किसी ऐसे उत्तर प्रदेश अधिनियम के, जिसे उस दिनांक को प्रवृत्त नहीं होना है जब तक कि उसे सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित किया जाय, लागू होने के सम्बन्ध में अथवा तद्धीन या उसके द्वारा संशोधित किसी अधिनियमिति के अधीन प्रयोक्तव्य किसी शक्ति के प्रयोग में अथवा तद्धीन किसी न्यायालय या कार्यालय की स्थापना या किसी न्यायाधीश या किसी अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में, अथवा उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा या उस समय के जब, या उस स्थान के, जहां, या उस रीति के, जिससे या उन फीसों, करों, उपकरों या अन्य देयों के, जिनके लिए उस अधिनियम के अधीन कोई बात की जानी हो, सम्बन्ध में {परिनियत संलेख जारी करने}[8] की शक्ति उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हो वहां वह शक्ति उस अधिनियम के पूर्वोक्त रीति से प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय प्रयोग में लायी जा सकेगी किन्तु {इस प्रकार जारी किये गये परिनियत संलेख तब तक प्रभावशील न होंगे}[8] जब तक उस अधिनियम का प्रारम्भ न हो जाय।}[2]

नियमों या उपविधियों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने के सम्बन्ध में लागू होने वाले उपबन्ध

23–– {(1)}[9] जहां कि किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम द्वारा नियम या उपविधियां बनाने की शक्ति का इस शर्त के अधीन दिया जाना अभिव्यक्त हो कि नियम या उपविधियां पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाई जायं, वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे; अर्थात् :–

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1957 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 14 द्वारा धारा 20 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्याकित किया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 14 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
6. उपर्युक्त की धारा 14 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा धारा 23 को उसकी उपधारा (1) के रूप में तथा खण्ड (1) से (5) को खण्ड (क) से (ङ) के रूप में पुनर्संख्याकित किया गया तथा उसके पश्चात् उपधाराएं (2) व (3) अंतर्विष्ट की गयी।

{(क)}[1] नियमों या उपविधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी, उन्हें बनाने के पूर्व, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिन पर एतद्द्वारा प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो, प्रस्थापित नियमों या उपविधियों का प्रारूप प्रकाशित करेगा;

{(ख)}[1] वह प्रकाशन ऐसी रीति से किया जायेगा, जिसे वह प्राधिकारी पर्याप्त समझे या यदि पूर्व प्रकाशन के बारे में की शर्त ऐसी अपेक्षा करे तो ऐसी रीति से किया जायेगा, जिसे {सम्बद्ध सरकार}[2] विहित करे;

{(ग)}[1] उस प्रारूप के साथ एक नोटिस प्रकाशित किया जायगा, जिसमें वह दिनाँक विनिर्दिष्ट होगा, जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जायगा;

{(घ)}[1] नियमों या उपविधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी और जहां कि नियम या उपविधियां किसी अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति से बनाई जानी हो, वहां वह प्राधिकारी भी ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगा, जो नियमों या उपविधियों को बनाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी को इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनाँक से पूर्व उस प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो;

{(ङ)}[1] नियमों या उपविधियों को पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाने की शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये तात्पर्यित नियम या उपविधि का {सरकारी गजट}[3] में प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उस नियम या उपविधि को सम्यक रूप से बनाया गया है।

{(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों का प्रारूप उस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन प्रकाशित किये जाने के दिनांक के एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का दिनांक न होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव देते हुए या एक मास की अवधि के पूर्व के दिनांक से नियम या उप–विधियां बनाना आवश्यक है तो वह कोई ऐसे नियम या उप–विधियां यथास्थिति, पूर्व प्रकाशन के बिना बना सकेगी या उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों के प्रकाशन के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का नियत कर सकेगी।}[4]

नियमों के प्रभावी होने का दिनांक तथा उन पर विधान मण्डल का नियंत्रण

{23–क–– (1) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिए, जो उसके एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में अपने प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो जायें किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 54 वर्ष 1975 की धारा 17 द्वारा धारा 23 को उसकी उपधारा (1) के रूप में तथा खण्ड (1) से (5) को खण्ड (क) से (ङ) के रूप में पुनर्संख्याकित किया गया तथा उसके पश्चात् उपधाराएं (2) व (3) अंतर्विष्ट की गयी।
2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1951 द्वारा (यथास्थिति सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट या प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लि प्रतिस्थापित, जिसे एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (गजट) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 17 द्वारा अंतर्विष्ट।

(2) जहां कि कोई केन्द्रीय अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त या लागू हो और ऐसे विषयों से संबंधित हो, जिसके संबंध में राज्य विधान मण्डल को उत्तर प्रदेश के लिए विधियां बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को तद्धीन नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है, वहां ऐसे अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा उक्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये नियमों पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।}[2]

निरसित और पुनः अधि–नियमित अधिनियमितियों के अधीन की गई नियुक्तियों, जारी की गई अधि–सूचनाओं, आदेशों आदि का चालू रहना

24–– जहां कि कोई अधिनियमिति किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम द्वारा निरसित और परिष्कारों सहित या रहित पुनः अधिनियमित की जाय, वहां जब तक की अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, {या जारी किया गया कोई परिनियत संलेख या बनाया गया कोई प्रपत्र जहां तक कि वह पुनः अधिनियमित उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी नियुक्ति अथवा जारी किए गए किसी परिनियत संलेख या बनाये गए किसी प्रपत्र द्वारा अतिष्ठित न कर लिया जाय, उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया या जारी किया गया समझा जायेगा।}[3]

प्रकीर्ण

जुर्मानों की वसूली

25–– भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं 63 में 70 तक और जुर्मानों के उद्ग्रहण के लिए वारन्टों के निकाले जाने और निष्पादित करने से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त दण्ड प्रकिया संहिता के उपबन्ध किसी भी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम के अधीन या किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम या बनायी गयी किसी उपविधि के अधीन अधिरोपित सब जुर्मानों पर तब के सिवाय लागू होंगे, जब कि उस अधिनियम, नियम या उपविधि में तत्प्रतिकूल कोई अभिव्यक्त उपबन्ध अंतर्विष्ट हो।

दो या अधिक अधिनिय–मितियों के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उपबन्ध

26–– जहां कि कोई कार्य या लोप दो या अधिक {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियमों के अधीन कोई अपराध गठित करता हो वहां अपराधी उन दोनों अधिनियमितियों में से एक या दूसरे के या उनमें से किसी के अधीन अभियोजित और दण्डित किये जाने का भागी होगा किन्तु उसी अपराध के लिए दो बार दण्डित किये जाने का भागी नहीं होगा।

डाक द्वारा तामील का अर्थ

27–– जहां कि कोई {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम दस्तावेज की डाक द्वारा तामील की जानी प्राधिकृत या अपेक्षित करता है, चाहे पद 'तामील' का अथवा ''देना'' या ''भेजना'' इन दोनों पदों में से किसी का अथवा किसी अन्य पद का प्रयोग किया गया हो, वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, किसी पत्र पर, जिसमें वह दस्तावेज हो, ठीक से पता लिखने, डाक महसूल का पूर्व–भुगतान करने और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा डाक में भेजने से तामील हुई समझी जायेगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय यह समझा जायेगा कि तामील उस समय पर हो चुकी है जब वह पत्र डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त हो जाता।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 18 द्वारा अंतर्विष्ट।
3. उपर्युक्त की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिनियमितियों का प्रोद्धरण

28–– (1) किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम में और किसी ऐसे अधिनियम के अधीन या उसके प्रति निर्देश से बनाये गये किसी नियम, उपविधि, लिखत या दस्तावेज में, किसी अधिनियमिति को उसके प्रदत्त नाम या संक्षिप्त नाम (यदि कोई हो) के प्रति निर्देश से अथवा उसकी संख्या और वर्ष के प्रति निर्देश से प्रोद्भूत किया जा सकेगा और किसी अधिनियमिति के किसी भी उपबन्ध को उस अधिनियमिति की, जिसमें वह उपबन्ध अन्तर्विष्ट है, धारा या उपधारा के प्रति निर्देश से प्रोद्भूत किया जा सकेगा।

(2) 22 मई, 1902 के पूर्व बनाये गये किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम को प्रोद्भूत करने में, उसके प्रदत्त नाम या संक्षिप्त नाम (यदि कोई हो) में शब्द ''नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज एण्ड अवध'' के स्थान पर शब्द {संयुक्त प्रान्त}[2] तथा शब्द ''नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज'' के स्थान पर शब्द ''आगरा'' प्रतिस्थापित किये जा सकेंगे।

(3) किसी {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियम में, किसी दूसरी अधिनियमिति के किसी प्रभाग के वर्णन या प्रोद्धरण का, जब तक कि भिन्न आशय न प्रतीत हो, यह अर्थ लगाया जायगा कि उसके अन्तर्गत वह शब्द, धारा या अन्य भाग आता है, जिसका इस रूप का उल्लेख या निर्देश है कि वह उस वर्णन या प्रोद्धरण में समाविष्ट प्रभाग का प्रारम्भ है और अन्त है।

वर्तमान अधिनियमितियों में नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज एण्ड अवध के प्रति निर्देश

29–– समस्त {केन्द्रीय अधिनियमों या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों}[3] में और समस्त {उत्तर प्रदेश}[1] अधिनियमों में, जो इससे पूर्व पारित हुए हो और अब भी प्रवृत्त हो और तद्धीन की गई प्रत्येक नियुक्ति {या जारी किये गये प्रत्येक परिनियत संलेख}[4] में {नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज एण्ड अवध}[5] के प्रति सभी निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वे {उत्तर प्रदेश}[1] के प्रति निर्देश है {* * *}[6] क्रमशः नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज के और प्राविन्स आफ अवध के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वे उत्तर प्रदेश में समाविष्ट तत्स्थानी राज्य क्षेत्रों के प्रति निर्देश है { * * *}[6] और {नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज}[5] के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर या अवध के चीफ कमिश्नर या {नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज}[5] एण्ड अवध के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर इन काउंसिल के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे {उत्तर प्रदेश}[1] की {राज्य सरकार}[7] के प्रति निर्देश है।

गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन के अध्यादेशों और विनियमों पर लागू होना

{30–– इस अधिनियम के उपबन्ध ––

(क) गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 88 के अधीन गवर्नर द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे गवर्नर द्वारा उक्त ऐक्ट के अधीन बनाये गये उत्तर प्रदेश अधिनियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं और उक्त ऐक्ट की धारा 92 के अधीन गवर्नर द्वारा बनाये गये किसी विनियम के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे प्रान्तीय विधान मण्डल द्वारा बनाये गये उत्तर प्रदेश अधिनियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं; और

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) तथा (दि यूनाइटेड प्राविसेज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा पद (यूनाइटेड प्राविन्सेज संयुक्त प्रान्त) अपरिष्कृत रहेगा।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (ऐक्टस एण्ड रेगुलेशन्स आफ दि गवर्नर जनरल) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा पद (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) तथा (प्राविन्स आफ अवध) अपरिष्कृत रहेगा।
6. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा शब्द (आफ आगरा एण्ड अवध) निकाला गया।
7. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रान्तीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश या संविधान की पंचम अनुसूची की कण्डिका 5 के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किसी विनियम के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये उत्तर प्रदेश अधिनियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) का खण्ड (ख), किसी ऐसे अध्यादेश पर, जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है, इस प्रकार लागू होगा मानों उक्त उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिनियम पर अनुमति के सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशन के दिन के प्रति निर्देश के स्थान पर अध्यादेश के उस गजट में पहली बार प्रकाशन के दिन के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हो।}[1]

{ * * * }[2]

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा धारा 30 के स्थान पर प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया था।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1975 की धारा 21 द्वारा निकाली गयी।

[The Uttar Pradesh][1] General Clauses Act, 1904[2]

[U. P. Act No. 1 of 1904]

Amended by

U. P. Act no. V of 1957
U. P. Act no. 54 of 1975

Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950

[Received the assent of the Lieutenant-Governor on the 28th November, 1903, and of the Governor-General on the 7th January, 1904, and was published under section 40 of the Indian Councils Act, 1861, on the 23rd January, 1904]

AN

ACT

To consolidate and extend the [Uttar Pradesh][1] General Clauses Act, 1887 and 1896;

Whereas it is expedient to consolidate and extend the [Uttar Pradesh][1] General Clauses Acts, 1887 and 1896;

It is hereby enacted as follows:-

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the [Uttar Pradesh][1] General Clauses Act, 1904; and

(2) It shall come into force at once.

2. [* * *][3]

---

1. Subs. by s. 2 of U. P. Act No. 54 of 1975.
2. For S. O. R, see Gazette 1903 Pt. V, p. 46.

This Act has been extended to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against such area:

Area	Act or order under which extended	Notification under which enforced	Date from which enforced
1. Rampur District	Rampur (Application of Laws) Act 1950.	..	Dec.30 1949
2. Baranar District	Banaras (Application of Laws) Order , 1949	No. 3262/XVII, Dt. Nov. 30, 1949	Nov. 30, 1949
3. Tehri-Garhwal District	Tehri- Garhwal (Application of Laws Order, 1949	Ditto	Ditto

3. Omit by section 3 of U.P. Act No. 54 of 1975.

Application of the Act to other enactments

3. (1) The provisions of this Act shall apply to this Act and to all Uttar Pradesh Acts, whether made before or after the commencement of this Act.

(2) The provisions of this Act in their application to any enactment or statutory instrument shall be subject to any contrary requirements of the context of the enactment or instrument that it is to be interpreted.][1]

General Definitions

Definition

4. In all [Uttar Pradesh][2] Acts, unless there is anything repugnant in the subject or context :--

"Abet"

Act 45 of 1860

(1) "abet" with its grammatical variations and cognate expressions, shall have the same meaning as in the Indian Penal Code;

"act"

(2) "act" used with reference to an offence or a civil wrong shall include a series of acts, and words which refer to acts done extend also to illegal omissions ;

" Affidavit"

(3) "affidavit" shall include affirmation and declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing;

"Agra"

(4) "Agra" shall mean the territories known as the [North-Western Provinces][3] previously to the 22nd day of March, 1902;

[(4-A) "agricultural year" shall mean the year commencing on the first day of July][4] ;

"Assistant Collector"

(5) "Assistant Collector" shall include an Assistant Commissioner;

"Barrister"

(6) "barrister" shall mean barrister of England or Ireland, or a member of Faculty of Advocates in Scotland;

"Board of Revenue"

(7) "Board of Revenue" shall mean the Board of Revenue for [Uttar Pradesh][2];

[(7-A) "Central Act" shall have the same meaning as in the General Clauses Act, 1897;

(7-B) "Central Government" shall have the same meaning as in the General Clauses Act, 1897][5];

"Chapter"

(8) chapter" shall mean a chapter of the Act in which the word occurs;

[(8-A) "clause" shall mean a sub-division (not being a sub-section) of the section or sub-section in which the word occurs;][6]

---

1. Subs. by section 4 of U. P. Act No. 54 of 1975.
2. Subs. by the A. O. 1950 for (United Provinces) or (The United Provinces).
3. The words (North Western Provinces) shall stand unmodified by the A.O. 1950.
4. Ins. by section 5(i) of U. P. Act No. 54 of 1975.
5. Ins. by section 5(ii) ibid.
6. Ins. by section 5(iii) ibid.

"Collector" (9) "Collector" shall mean the chief officer in charge of the revenue administration of a district, and shall include a Deputy Commissioner and the Superintendent, Dehra Dun;

"Commencement" (10) "Commencement", used with reference to an Act, shall mean the day on which the Act comes into force;

"Commissioner" (11) "Commissioner" shall mean the chief officer in charge of the revenue administration of a division;

[(11-A) "Constitution" shall mean the Constitution of India;

(11-B) "daughter", in the case of any person the law applicable to whom permits the adoption of a daughter, shall include an adopted daughter;

(11-C) "day" shall mean a period of twenty-four hours beginning at midnight;][1]

"District Judge' (12) "District Judge" shall mean the Judge of a principal Civil Court of original jurisdiction, but shall not include a High Court in the exercise of its ordinary or extraordinary original civil jurisdiction;

[(12-A) "District Magistrate" shall mean a person appointed as such under sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and shall include the Deputy Commissioner of a District;][2]

"Document" (13) "document" shall include any matter written, expressed or described upon any substance by means of letters, figures of marks, or by more than one of those means, which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter;

"Enactment" (14) "enactment" shall include a Regulation (as hereinafter defined) and any Regulation of the Bengal, Madras or Bombay Code, and shall also include any provisions contained in any Act or in any such Regulation as aforesaid;

"Father" (15) "father", in the case of any one whose personal law permits adoption, shall include an adoptive father;

"Financial year" (16) "financial year" shall mean the year commencing on the first day of April;

"Good faith" (17) a thing shall be deemed to be done in "good faith" where it is in fact done honestly whether it is done negligently or not;

"Gazette" [(18) "Gazette" shall mean the official Gazette for [Uttar Pradesh][3];

---

1. Inserted by section 5 (iv) of U. P. Act No. 54 of 1975.
2. Inserted and be deemed always to have been inserted by section 5(v) ibid.
3. Subs. for (the United Provinces) by the A. 0. 1950.

[(19) "goods" shall include all materials, commodities and articles, and shall also include electricity;

(19-A) "Government" shall include the Central Government and any State Government;

(19-B) "Government securities" shall mean securities of the Central Government or of any State Government;

(19-C) "the Governor" shall means the Governor of Uttar Pradesh;][1]

"Growing Crops"

(20) "growing crops" shall include crops of all sorts attached to the soil, and leaves, flowers and fruits upon, and juice in trees and shrubs;

[(21) "the High Court" or "the High Court of Judicature at Allahabad" shall mean the High Court for Uttar Pradesh;.][2]

(22) [* * *][3]

"Immovable property"

(23) "immovable property" shall include land, benefits to arise out of land and things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth, but shall not include standing timber, growing crops or grass;

"Imprisonment"

(24) "imprisonment" shall mean imprisonment of either description as defined in the Indian Penal Code;

[(24-A) "legal representative" shall have the same meaning as in the Code of Civil Procedure, 1908;][4]

[(25) "local authority" shall mean a municipal board or nagarpalika, nagar mahapalika, notified area committee, town area committee, zila parishad, cantonment board, kshettra samiti, gaon sabha or any other authority constituted for the purpose of local self-government or village administration or legally entitled to or entrusted by the State Government with the control or management of municipal or local fund;

(26) "local fund" shall mean revenues administered by a body which by law or rule having the force of law is controlled by the State Government, whether in regard to the proceedings generally or to specific matters such as the sanctioning of its budget sanction to the creation or filling up of particular posts, the making of leave pension or other rules, regulations or bye-laws and shall include the revenues of any other body which may be specifically notified by the State Government as such;][5]

---

1. Inserted by section 5(vi) of U. P. Act No. 54 of 1975.
2. Inserted by section 5(vii) ibid.
3. The definitions (His Majesty) or (the King) omit by the A. O. 1950.
4. Inserted by section 5 (viii) of U. P. Act No. 54 of 1975.
5. Subs. by section 5 (ix) Ibid.

"Magistrate" (27) "Magistrate" shall include every person exercising all or any of the powers of Magistrate under the Code of Criminal Procedure for the time being in force;

"Month" (28) "month" shall mean a month reckoned according to the British calendar;

[(28-A) "Mother", in the case of any person the law applicable to whom permits adoption shall include an adoptive mother;][1]

"Movable property" (29) "movable property" shall mean property of every description, except immovable property;

[(29-A) "notification" or "public notification" shall mean a notification published in the Gazette of the State, and the word "notified" shall be construed accordingly;][2]

"Oath" (30) "oath" shall include affirmation and declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing;

"Offence" (31) "offence" shall mean an act or omission made punishable by any law for the time being in force;

"Part" (32) "part" shall mean a part of the Act or Regulation in which the word occurs;

"persons" (33) "persons" shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;

[(33-A) "prescribed" shall mean prescribed by rules made under the Act in which the word occurs;

(33-B) 'public' shall include any class or section of the public;][3]

"public nuisance" (34) "public nuisance" shall mean a public nuisance as defined in the Indian Penal Code;

"Registered' (35) "registered" used with reference to a document, shall mean registered in [a Part A State or a Part C State][4] under the law for the time being in force for the registration of documents;

"regulation" (36) "regulation" shall mean a regulation made under the Government of India Act, 1870;

"Rule" (37) "rule" shall mean a rule made in exercise of a power conferred by any enactment, and shall include a regulation made as a rule under any enactment;

---

1. Ins. by section (x) of U. P. Act No. 54 ibid.
2. Ins. by section 5(xi) Ibid.
3. Inserted by section 5 (XII) ibid.
4. Subs. by the A. 0. 1950 for (the Province) which had been subs. by the A. O. 1948 (for British India).

"Schedule" (38) "schedule" shall mean a schedule to the Act or Regulation in which the word occurs;

[(39) 'scheduled bank' shall mean a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934;

(39-A) 'Scheduled Castes', and 'Scheduled Tribes' shall have the same meanings respectively as in the Constitution;][1]

"Section" (40) "section" shall mean a section of the Act or Regulation in which the word occurs;

"Sign" (41) "sign" with the grammatical variations and cognate expressions, shall, with reference to a person who is unable to write his name, include "mark" with its grammatical variation and cognate expressions;

[(42) 'son' in the case of any one the law applicable to whom permits adoption, shall include an adopted son;

(42-A) 'the State' shall mean the State of Uttar Pradesh and as respects any period before the commencement of the Constitution, shall include the United Provinces;

(42-B) 'statutory instruments' shall mean any notification, order, scheme, rule, form or bye-law issued under any enactment and having the force of law;

(42-C) the State Government' shall mean the Government of Uttar Pradesh, and as respects functions entrusted under Article 258-A of the Constitution to the Central Government shall include the Central Government acting within the scope of the authority given to it under that Article;][2]

"Sub-section" (43) "sub-section" shall mean a sub-section of the section in which the word occurs;

"Swear" (44) "swear", with its grammatical variations and cognate expressions, shall include affirming and declaring in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing;

[(44-A) 'temporary Act' shall mean an Act which is to cease to have effect or cease to operate on the expiration of a particular period or on the happening of a particular event or on a particular day ;][3]

[(45) "Uttar Pradesh" shall mean all territories for the time being comprised in the territories of Uttar Pradesh under the Constitution ;][4]

[(46) 'Uttar Pradesh Act' shall mean---

---

1. Subs. by section 5 (xiii) of U. P. Act No. 54 of 1975.
2. Inserted by section 5 (xiiv) ibid.
3. Subs. by section 5 (xv) ibid.

4. Subs: by section 5 xvi) ibid.

(a) as respects any law made before the commencement of the Constitution, an Act made by the Lieutenant Governor of the North-Western Provinces and Oudh (or of the United Provinces of Agra and Oudh) in Council under the Indian Councils Act, 1861, or the Indian Council Acts, 1961 and 1892 or the Indian Councils Acts, 1861 to 1909, or the Government of India Act, 1915, or by the local Legislature or the Governor of the United Provinces under the Government of India Act, or by the Provincial Legislature or the Governor of the United Provinces under the Government of India Act, 1935; and

(b) as respects any law made after the commencement of the Constitution, an Act passed by the State Legislature, and shall include any law made in exercise of the powers of the State Legislature by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of Article 357 of the Constitution;][1]

"Vessel" (47) "vessel" shall include any ship or boat or any other description of vessel used in navigation;

"Will" (48) "will" shall include a codicil and every writing making a voluntary posthumous disposition of property;

" Writing" (49) Expression referring to "writing" shall be construed as including references to printing, lithography, photography and other modes of representing or reproducing words in a visible form; and

"Year" (50) "year" shall mean a year record according to the British calendar;

[(51) any reference to a Central Act shall be construed as a reference to that Act as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh and in the case of the Code of Civil Procedure, 1908, as a reference to that Code subject also to any annulments, alterations and additions to the rules contained in the First Schedule thereto made from time to time under section 122 thereof by the High Court;

(52) any reference to a revenue division, district or sub-division, or to a local area under the jurisdiction of a local authority, shall be construed as a reference to such revenue division, district or sub-division or to such local area with its limits as altered from time to time;

(53) any reference to the district judge, civil judge or munsif shall be construed as including a reference to an additional district judge, an additional civil judge or, as the case may be, an additional munsif to whom a case is assigned by the district judge (to whom such officer is administratively subordinate) for disposal.][2]

1. Inserted by section 5 (xvii) of U. P. Act No. 54 of 1975.
2. Insertion by section 5(xviii) ibid.

[Grammatical variations and cognate expressions

4-A In every Uttar Pradesh Act, when a word is defined-

(a) the definition shall apply unless to context of the Act otherwise require;

(b) grammatical variations of that word and cognate expression shall have corresponding meaning.][1]

GENERAL RULES OF CONSTRUCTION

Coming into operation of enactments

5. [(1) Where any Uttar Pradesh Act is not expressed to come into force on a particular day, then -

(a) in the case of an Uttar Pradesh Act made before the commencement of the Constitution, it shall come into operation, if it is an Act of the Legislature, on the day on which the assent thereto of the Governor, the Governor General or His Majesty, as the case may require, is first published in the official *Gazette*, and, if it is an Act of the Governor, on the day on which it is first published as an Act in the official *Gazette*;

(b) in the case of an Uttar Pradesh Act made after the commencement of the Constitution, it shall come into operation on the day on which the assent thereto of the Governor or the President, as the case may require, is first published in the official *Gazette*.][2]

(2) Unless the contrary is expressed, an [Uttar Pradesh][3] Act shall be construed as coming into operation immediately on expiration of the day preceding its commencement.

Effect of repeal

6. Where any [Uttar Pradesh][3] Act repeals any enactment hitherto made or hereafter to be made then, unless a different intention appears, the repeal shall not---

(a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect; or

(b) affect the previous operation of any enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or

(d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against enactment so repealed, or

---

1. Inserted by s. 6 of U. P. Act No. 54 of 1975.
2. Subs. by A. 0. 1950.

3. Subs. for (United Provinces) by the A. 0. 1950.

(e) affect any remedy, or any investigation or legal proceeding commenced before the repealing Act shall have come into operation in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such remedy may be enforced and any such investigation or legal proceedings may be continued and concluded, and any such penalty, forfeiture or punishment imposed as if the repealing Act had not been passed.

[Time of expiration of temporary Acts

6-A A temporary Uttar Pradesh Act shall be construed as ceasing to operate immediately at the end of the day on which it expires.

Effect of expiration

6-B Where a temporary Uttar Pradesh Act, expires the provisions of sections 6 and 24 shall apply to it as they apply to the repeal of an enactment by an Uttar Pradesh Act.

Repeal or expiration of law making textual amendments in other laws

6-C (1) Except as provided by sub-section (2) where any Uttar Pradesh Act amends the text of any Uttar Pradesh Act or regulation by the express omission, insertion or substitution of any matter, and the amending enactment is subsequently repealed, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by the enactment so repealed and in operation at the time of such repeal.

(2) Where any such amendment of text is made by any temporary Uttar Pradesh Act or by an Ordinance or by any law made in exercise of the power of the State Legislature by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of Article 357 of the Constitution, and such Act, Ordinance or other law ceases to operate without being re-enacted (with or without modifications) the amendment of text made thereby shall also cease to operate.][2]

Revival of repealed enactments

7. In any [Uttar Pradesh][1] Act it shall be necessary, for the purpose of reviving, either wholly or partially any enactment wholly or partially repealed, expressly to state that purpose.

Construction of references to repealed enactments

8. [1][3] Where any [Uttar Pradesh][1] Act repeals and reenacts, with or without modification, any provision of a former enactment, then references in any other enactment, or in any instrument to the provision so repealed shall, unless a different intention appears, be construed as references to the provision so re-enacted.

[(2) Where the short title of any enactment is amended by an Uttar Pradesh Act, then, references to that enactment by its old short title in any other enactment shall be construed as references to that enactment by its new short title.][3]

---

1. Subs. for (United Provinces) by the A. O. 1950.
2. Inserted by section 7 of U. P Act No. 54 of 1975.

3. Section 8 re-numbered as sub-section (I) thereof and sub-section (2) Inserted by section II of U. P Act No. 54 of 1975.

Commencement and termination of time

9. In any [Uttar Pradesh][1] Act it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days or any other period of time, to use the word "from" and, for the purpose of including the last in a series of days or any other period of time, to use the word "to".

Compensation time

10. Where, by any [Uttar Pradesh][1] Act any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any court or office on a certain day or within a prescribed period, then, if the court or office is closed on that day or the last day of the prescribed period, the act or proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the court or office is open:

Provided that nothing in this section shall apply to any act or proceeding to which the Indian Limitation Act, 1877, applies.

[Marginal notes not part of Act

10-A Marginal notes to any provisions of an Uttar Pradesh Act and the reference to the number and year of any former enactment against any such, provision shall be deemed to have been inserted for convenience of reference only and shall not form part of the Act.

Effect of incorporation

10-B Where any Uttar Pradesh Act constitutes a body corporate by any form of words, that body corporate shall have perpetual succession and a common seal and may enter into contract by its corporate name, acquire, hold and dispose of property whether movable or immovable, and sue or be sued by its corporate name.

Deviations from forms

10-C Where by any Uttar Pradesh Act a form is prescribed, slight deviations there from not affecting the substance or calculated to mislead shall not invalidate it.][2]

Measurement of distance

11. In the measurement of any distance, for the purposes of any [Uttar Pradesh][1] Act, that distance shall unless a different intention appears, be measured in a straight line on a horizontal plane.

Duty to be taken pro rata in enactments

12. Where, by any [Uttar Pradesh][1] Act, any duty of customs or excise, or in the nature thereof, is leviable on any given quantity, by weight measure or value of any goods or merchandize then a like duty is leviable according to the same rate on any greater or less quantity.

Gender and number

13. In all [Uttar Pradesh][1] Acts, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(1) words importing the masculine gender shall be taken to include females: and

---

1. Subs. for (United Provinces) by the A. O. 1950.

2. Inserted by section 9 of U.P. Act No. 54 of 1975.

(2) words in the singular shall include the plural, and *vice versa*.

POWER AND FUNCTIONARIES

Powers conferred on the State Government to be exercisable from time to time

14. Where by any [Uttar Pradesh][1] Act any power is conferred [***][2] then that power may be exercised from time to time as occasion requires.

Power to appoint to include power to appoint ex-officio

15. Where by any [Uttar Pradesh][1] Act, a power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred, then, unless it is otherwise expressly provided, any such appointment may be made either by name or by virtue of office.

[Power to appoint to include power to suspend, dismiss or otherwise terminate the tenure of office

16. Where, by any [Uttar Pradesh][1] Act, a power to make any appointment is conferred then, unless a different intention appears, the authority having for the time being power to make the appointment shall also have the power to suspend, dismiss, or otherwise terminate the tenure of office of any person appointed, whether by itself or any other authority, in exercise of that power.][3]

Substitution of functionaries

17. In any [Uttar Pradesh][1] Act, it shall be sufficient, for the purpose of indicating the appointment or a law to every person or number of persons for the time being executing the function of an office, to mention the official title of the officer at present executing the functions or that of the officer by whom the functions are commonly executed.

Successors

18. In any [Uttar Pradesh][1] Act, it shall be sufficient for the purpose of indicating the relation of a law to the successors of any functionaries or of corporations having perpetual succession to express its relation to the functionaries or corporations.

Official chiefs and subordinates

19. In any [Uttar Pradesh][1] Act, it shall be sufficient for the purposes of expressing that a law relative of the chief or superior of an office shall apply to the disputes or subordinates lawfully performing the duties of that office in the place of their superior, to prescribe the duty of the superior.

[Ancillary powers

19-A Where by any Uttar Pradesh Act, a power is given to a person officer or authority to do or enforce the doing of any act or thing, all such powers shall be deemed also to be given as are necessary to enable that person, officer or functionary to do or enforce the doing of the act or thing.][4]

---

1. Subs. for (United provinces) by the A. 0. 1950.
2. Omit by section 10 U. P. Act 54 of 1975.
3. Subs. by section 11 ibid.
4. Ins. by section 12 ibid.

Provisions as to statutory instruments[3] made under Enactments

Conferring of orders etc. statutory enactments

20. [(1)][4] Where, by any [Uttar Pradesh][1] Act, a power to issue any [statutory instruments][5] is conferred, then expressions used the [statutory instruments][5] shall, unless there is anything repugnant in the subject or context have the same respective meanings as in the Act conferring the power.

[(2) The provisions of sections 4, 4-A, 6, 6-A, 6-B, 7, 8, 9, 10, 10-A, 10-C 11, 12, 13, 14,15,16,17,18,19,19-A and 28 shall *mutatis mutandis* apply in relation to any statutory instrument issued under any Uttar Pradesh Act as they apply in relation to any Uttar Pradesh Act.][6]

Power to make to include power to add to amend, vary or rescind, orders, rules or bye-laws

21. Where, by any [Uttar Pradesh][1] Act, a power to [issue statutory instruments][7] is conferred, then that power includes a power, exercisable in the like manner and subject to the like sanction and conditions (if any), to add, amend, vary or rescind any [statutory instruments][5] so issued.

[Making of rules or bye-laws and issuing of orders and notifications between publication and commencement of enactment

22. Where by any Uttar Pradesh Act, which is not to come into force on the day on which it is first published in the official *Gazette* a power is conferred [to issue statutory instruments][8] with respect to the application of the Act or in the exercise of any power exercisable thereunder or under any enactment thereby amended, or with respect to the establishment of any court or office, or the appointment of any Judge or officer thereunder, or with respect to the person by whom, or the time when, or the place where, or the manner in which, or the fees, taxes, cess or other dues for which, anything is to be done under the Act, then that power may be exercised at any time after the Act has been published as aforesaid; but [statutory instruments so issued][8] shall not take effect till the commencement of the Act.][2]

Provision applicable to making of rules or bye-laws after previous publication

23. [(1)][9] Where, by any [Uttar Pradesh][1] Act, a power to make rules or bye-laws is expressed to be given subject to the condition of the rules or bye-laws being made after previous publication, then the following provisions shall apply; namely: --

---

1. Subs. for "United Provinces" by the A. O. 1950.
2. Subs. by section 3 of U. P. Act No.5 of 1957.
3. Subs. by section 13 of U. P. Act No. 54 of 1975.
4. Section 20 re-numbered as sub-section (1) thereof by section 14 ibid.
5. Ins. by section 14 (a) ibid.
6. Ins. by section 14(b) ibid.
7. Subs. by section 15 of U. P. Act No. 54 of 1975
8. Subs. by section 16 of U. P. Act No. 54 of 1975.
9. Section 23 re-numbered as sub-section (1) thereof and its clauses (1) to (5) re-numbered as clauses (a) to (e) respectively and sub-sections (2) and (3) inserted thereafter by section 17 ibid.

[(a)][1] the authority having power to make the rules or bye-laws shall, before making them publish a draft of the proposed rules or bye-laws for the information of persons likely to be affected thereby :

[(b)][1] the publication shall be made in such manner as that authority deems to be sufficient, or, if the condition with respect to previous publication so requires, in such manner as [the Government concerned][2] prescribes; -

[(c)][1] there shall be published with the draft a notice specifying a date on or after which the draft will be taken into consideration;

[(d)][1] the authority having power to make the rules or bye-laws, and, where the rules or bye-laws are to be made with the sanction, approval or concurrence of another authority, that authority also, shall consider any objection or suggestion which may be received by the authority having power to make the rules or bye-laws from any person with respect to the draft before the date so specified;

[(e)][1] the publication in the [official *Gazette*][3] of a rule or bye-law purporting to have been made in exercise of a power to make rules or bye-laws after previous publication shall be conclusive proof that the rule or bye-law has been duly made.

[(2) The date referred to in clause (c) of sub-section (1) shall not be a date earlier than the day of expiration of a period of one month from the date of publication of the draft of the proposed rules or bye-laws under clause (a) of that sub-section.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-sections (1) and (2) where the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary for it to make rules or bye-laws with immediate effect or with effect from a date earlier than a period of one month, it may make any such rules or bye-laws without previous publication or, as the case may be, fix a date referred to in clause(c) of sub-section (1) earlier than the day of expiration of a period of one month from the publication of the draft of the proposed rules or bye-laws.][4]

[Date of coming into effect of rules and the control of Legislature over them

23-A (1) All rules made by the State Government under an Uttar Pradesh Act shall, as son as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulment as the two House of the Legislature may during the said period, agree to make so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

1. Section 23 re-numbered as sub-section (1) thereof and its clauses (1) to (5) re-numbered as clauses (a) to (e) respectively and sub-sections (2) and (3) inserted thereafter by section 17 of U.P. Act No. 54 of 1975.
2. Subs. for (Central Government or. as the case may be the Provincial Government) by A. O. 1951, which had been subs. for (L.G) by A. O. 1937.
3. Subs. for (Gazette) by A. O. 1937.
4. Ins. by section 17 of U. P. Act No. 54 of 1975.

(2) Where any Central Act in force in or applicable to Uttar Pradesh and relating to matters with respect to which the State Legislature has power to make laws for Uttar Pradesh, confers power on the State Government to make rules thereunder then subject to any express provisions to the contrary in such Act, the provisions of sub-section (1) shall *mutatis mutandis* apply to the rules made by the State Government in exercise of that power.][2]

Continuation of appointments, notification orders, etc. issued under enactments repealed and re-enacted

24. Where any enactment is repealed and re-enacted by an [Uttar Pradesh][1] Act with or without modification then, unless it is otherwise expressly provided, any appointment [or statutory instrument or form][3] made or issued under the repealed enactment shall, so far as it is not inconsistent with the provisions re-enacted, continue in force and be deemed to have been made or issued under the provisions so re-enacted unless and until it is superseded by any appointment or statutory instrument or form made or issued under the provisions so re-enacted.

Miscellaneous

Recovery of fines

25. Sections 63 to 70 of the Indian Penal Code and the provisions of the Code of Criminal Procedure for the time being in force in relation to the issue and the execution of warrants for the levy of fines shall apply to all fines imposed under any [Uttar Pradesh][1] Act, or any rule or bye-laws made under any [Uttar Pradesh][1] Act, unless the Act, rule or bye-law contains an express provision to the contrary.

Provision to offences punishable under two or more enactments

26. Where an act or omission constitutes an offence under two or more [Uttar Pradesh][2] Acts, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the same offence.

Meaning of service by post

27. Where any [Uttar Pradesh][1] Act authorizes or requires any document to be served by post, whether the expression "serve" or either of the expressions "give" or "send" or any other expression is used, then, unless a different intention appears, the service shall be deemed to be effected by properly addressing pre-paying and posting by registered post, a letter containing the document and, unless the contrary is proved, to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post.

---

1. Subs. for (United Provinces) by the A.O 1950.
2. Ins. by section 18 of U.P. Act No. 54 of 1975.
3. Subs. by section 19 ibid.

Citation of enactments

28. (1) In any [Uttar Pradesh][1] Act, and in any rule, bye-law, instrument or document, made under, or with reference to, any such Act, any enactment may be cited by reference to the title or short title (if any) conferred thereon, or by reference to the number and year thereof, and any provision in an enactment may be cited by reference to the section or sub-section of the enactment in which the provision is contained.

(2) In citing any [Uttar Pradesh][1] Act, made previously to the 22nd day of May, 1902, the words [United Provinces][2] may be substituted for the words "North-Western Provinces and Oudh" and the word "Agra" for the words "North-Western Provinces" in the title or short title (if any) conferred thereon.

(3) In any [Uttar Pradesh][1] Act a description or citation of a portion of another enactment shall, unless a different intention appears, be construed as including the word, section or other part mentioned or referred to as forming the beginning and as forming the end of the portion comprised in the description or citation.

References in existing enactments to North-Western Provinces and Oudh

29. In all [Central Acts or Regulations made by the Central Government][3] and all [Uttar Pradesh][1] Acts, heretofore passed and now in force, and every appointment, [or statutory instrument][4] made or issued thereunder, all references to the [North-Western Provinces and Oudh][5] shall be construed as referring to [Uttar Pradesh][1] [* * *][6] all references to the [North-Western Provinces][5] and to the [Province of Oudh][5] respectively, shall be construed as referring to the corresponding territories as comprised in [Uttar Pradesh][1] [***][6] and all references to the Lieutenant-Governor of the [North-Western Provinces][5] or the Chief Commissioner of Oudh or the Lieutenant-Governor of the [North-Western Provinces][5] and Oudh in Council shall be construed as referring to the [State Government][7] of [Uttar Pradesh].[1]

[Application to ordinances and regulations under the Government of India Act, 1935

30. The provisions of this Act shall apply ----

(a) in relation to any Ordinance promulgated by the Governor under section 88 of the Government of India Act, 1935, as they apply in relation to Uttar Pradesh Acts made under the said Act by the Governor, and in relation to any Regulation made by the Governor under section 92 of the said Act as they apply in relation to Uttar Pradesh Acts, made by the Provincial Legislature; and

---

1. Subs. for (United Provinces) and (the United Provinces) by the A. O. 1950.
2. The expression (United Provinces) shall stand un-modified, vide the A.0. 1950.
3. Subs. for (Acts or Regulations of the Governor General) by the A.O. 1950.
4. Subs. by section 20 of U. P. Act No. 54 of 1975
5. The expression (North-Western Provinces) and (Province of Oudh) shall stand unmodified by the A. 0. 1950.
6. The words (of Agra and Oudh) omitted by the A. O. 1937.
7. Subs. by the A. O. 1950 for (provincial Government) .

(b) in relation to any Ordinance promulgated by the Governor under Article 213 of the Constitution or any Regulation made by the Governor under paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution as they apply in relation to Uttar Pradesh Acts, made by the State Legislature :

Provided that clause (b) of sub-section (1) of section 5 of this Act shall apply to an Ordinance referred to in clause (b) as if for the reference in the said clause (b) of sub-section (1) to the day of the first publication of the assent to an Act in the official *Gazette*, there were substituted a reference to the day of the first publication of the Ordinance in that *Gazette*.][1]

[* * *][2]

---

1. Substituted by the A. 0. 1950 for s. 30 which bad been ins. by the A. O. 1917 .
2. Omitted by section 21 of U. P: Act No. 54 of 1975.